फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

बजरंगलाल व अन्य बनाम अधि. अभि. PWD

मुकदमा संख्या / वर्ष : 11 / 2017

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/04/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अन्तिम हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा अवसर चाहा गया है। अतः पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 27/04/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	27/04/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। बहस अन्तिम हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा अवसर चाहा गया है। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम दिनांक 04/05/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	04/05/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश/निर्णय दिनांक 11/05/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	11/05/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण [illegible] बहस अन्तिम [illegible] तर्कों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। वाद वादीगण आंशिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

...लय — सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

कजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि. अभि. PWD

...मा संख्या / वर्ष : 11 / 2017

...	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	11/05/22	डिक्री किया जाकर वाद अधीन भूमि ओ.ख. नं. 1136 के सन्दर्भ में वाद वादीगण खारिज किया जाता है तथा अनुतोष अधीन अन्य ख.नं. 1089, 1133, 1155, 1176 के सन्दर्भ में वाद वादीगण इस निर्देश के अधीन स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 01 उक्त खसरा नम्बरान के सन्दर्भ में वह विधि पूर्वक कार्यवाही के अभाव में एवं खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में उक्त खसरा नम्बरान में किसी नवीन सड़क का निर्माण ना करें। तदनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय जयपुर
पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रतिभा वर्मा (आई.ए.एस)
वाद सं. : 11/2017

निर्णय दिनांक 11.05.2022

1. कजोडनाथ पुत्र स्व. भूराराम
2. पांचूनाथ पुत्र स्व. भूराराम (फौत)
2/1 रामावतार योगी पुत्र स्व. पांचूनाथ
निवासी चिताणुकला, हाल निवासी एए–135, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर
3. हनुमान पुत्र शंकरनाथ
4. गोपाल पुत्र शंकरनाथ
5. प्रहलाद पुत्र शंकरनाथ
6. राजेन्द्र पुत्र शंकरनाथ
7. राजकुमार पुत्र शंकरनाथ
8. संतोष पत्नी स्व. बाबूलाल
9. दिनेश्वर पुत्र स्व. बाबूलाल
10. मुकेश पुत्र स्व. बाबूलाल
11. पिन्टु कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
12. विनोद कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
13. रामकुवार पुत्र स्व. कानानाथ
14. गंगा देवी पत्नी रामकुमार

समस्त निवासी ग्राम चिताणुकंला तहसील आमेर जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. पता जेकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर बहैसियत प्रतिनिधि राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधि. 1955</u>

निर्णय

खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। जिसकी कमबद्धता में ही उपरोक्त उल्लेखित मौसमी रास्ता दर्ज अंकित/स्थित है। जिसका विधिक रूप से उपयोग मात्र रास्ते के रूप में किया जा सकता है। वादीगण यह सिद्ध करने में

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

असफल रहे है कि किस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तथाकथित रूप से मिटटी डालने या डामरीकरण की गतिविधि से अथवा जनसाधारण द्वारा उक्त खसरा नं. को रास्ते के तौर पर उपयोग करने से वादीगण के किस अधिकार का एवं किस प्रकार हनन होता है। अतः वादीगण खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ता हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा चूंकि उक्त खसरा नं. वादीगण की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित है, जिससे खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में पक्की सडक का निर्माण उनके अधिकारों का हनन माना जावेगा। अतः प्रतिवादी सं. 1 को उक्त खसरा नं. 1089, 1133, 1135, 1176 के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विधि पूर्वक कार्यवाही के अभाव में एवं खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में उक्त खसरा नम्बरान में किसी नवीन सडक का निर्माण ना करे।

दस्तखत

ओहदा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा		–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	6 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुश्री प्रतिमा वर्मा (आई.ए.एस)

वाद सं. : 11/2017

निर्णय दिनांक 11.05.2022

1. कजोड़नाथ पुत्र स्व. भूराराम
2. पांचूनाथ पुत्र स्व. भूराराम (फौत)

   2/1 रामावतार योगी पुत्र स्व. पांचूनाथ

   निवासी चिताणुकला, हाल निवासी एए-135, राणा कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर
3. हनुमान पुत्र शंकरनाथ
4. गोपाल पुत्र शंकरनाथ
5. प्रहलाद पुत्र शंकरनाथ
6. राजेन्द्र पुत्र शंकरनाथ
7. राजकुमार पुत्र शंकरनाथ
8. संतोष पत्नी स्व. बाबूलाल
9. दिनेश्वर पुत्र स्व. बाबूलाल
10. मुकेश पुत्र स्व. बाबूलाल
11. पिन्टु कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
12. विनोद कुमार पुत्र स्व. बाबूलाल
13. रामकुवार पुत्र स्व. कानानाथ
14. गंगा देवी पत्नी रामकुमार

समस्त निवासी ग्राम चिताणुकंला तहसील आमेर जिला जयपुर

—वादीगण

बनाम

1. अधिशाषी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी. पता जेकब रोड, जयपुर क्लब के सामने, जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील आमेर जिला जयपुर बहैसियत प्रतिनिधि राज्य सरकार

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

<u>वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राज. का. अधि. 1955</u>

उपस्थित :— अधिवक्ता वादीगण श्री अशोक शर्मा

<u>निर्णय</u>

वादीगण की ओर से ग्राम चिताणुकला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि (वादग्रस्त) आराजी खसरा नं. 1133 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176 व 1089 कुल खसरा किता 14 के सन्दर्भ में हस्तगत वाद बाबत स्थाई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय जयपुर

कजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि. अभि.
पी. डब्लू. डी.
मु. सं. 11/2017

निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम चिताणुकला स्थित भूमि खसरा नं. 1089, 1134, 1136, 1137, 1138 (वादअधीन) व 1145, 1168, 1170, 1174 (वाद मुक्त) कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.39 है. वादी सं. 13 की तन्हा खातेदारी की भूमि है एवं इसके अतिरिक्त अन्य भूमि खसरा नं. 1141, 1142, 1143, 1147 (वाद मुक्त) 1173, 1176 (वादअधीन) कुल खसरा किता 6 कुल रकबा 1.54 है. वादीगण सं. 1, 2 के स्वयं के नाम तथा वादीगण सं. 3 लगायत 7 के पिता शंकरनाथ के नाम शामलाति खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नं. 1131/2502, 1146, 1169 (वाद मुक्त) 1133, 1135, 1139, 1171, 1172, 1175 (वादअधीन) कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.37 है. वादीगण सं. 8 लगायत 12 की एकल सहखातेदारीता की भूमि है। इसके अतिरिक्त भी अन्य भूमि खसरा नं. 1070, 1071, 1130, 1140, 1144, 1177, 1178 कुल खसरा किता 7 कुल रकबा 2.16 है. भूमि वादीगण सं. 1, 2, 8 लगायत 13 के स्वयं के नाम तथा वादीगण सं. 3 लगायत 7 के पूर्वज संयुक्त सहखातेदारीता की भूमि है एवं इसी प्रकार भूमि खसरा नं. 1148 रेंकबा 0.39 है. वादी सं. 14 की एकल खातेदारीता की भूमि है। इस प्रकार उक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि वादीगणों मात्र की खातेदारीता की आराजी है। जिस पर वादीगण बतौर खातेदार/सहखातेदार काबिज काश्त है तथा वर्णित आराजी भूमि वादीगण को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। जिस पर वादीगण अपने पूर्वजों के काल से ही निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

उक्त वर्णित भूमि में से **आराजी भूमि खसरा नं. 1136 रकबा 0.05 है. गैर मुमकिन रास्ता भूमि है। जो वादीगण की निजी खातेदारी के रास्ते की भूमि है।** जिसका उपयोग वादीगण अपनी खातेदारी की सम्पूर्ण आराजीयात में आने जाने हेतु करते है। उक्त खसरा नं. 1136 रकबा 0.05 है. निजी खातेदारी का रास्ता होने के कारण उक्त रास्ते को वादीगण पगडंडी के रूप में उपयोग उपभोग करते है। **किसी अन्य जनसाधरण को उक्त रास्ते का उपयोग करने का कानूनन कोई अधिकार नही है, ना ही कोई अन्य व्यक्ति उक्त रास्ते का उपयोग करता है।** वादीगण की भूमि के खसरा नं. 1133 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176, 1189 के मध्य नजरी नक्शे में पगडंडी ... में दर्शायी गई भूमि का उपयोग वादीगण आने जाने हेतु करते हैं।

प्रतिवादी सं. 1 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) प्रतिवादी सं. 2 से मिलकर वादीगण की निजी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि जो कि पगडंडी के रूप में वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1133 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176, 1189 के मध्य स्थित है, को पक्की सडक बनाकर वादीगण के निजी रास्ते को आम रास्ते में तब्दील करने पर आमादा है। जिसका उसे कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि. प्रमि. पी.डब्लू.डी.
मु. सं. 11/2017

व अधिकार प्राप्त नही है। **उक्त रास्ता ही वादपत्र में विवादित सम्पति है।** उक्त भूमि पर पक्का आम रास्ता बनाने के उदेश्य से दिनांक 15.03.1984 को प्रतिवादी सं. 1 के निर्देशानुसार जे.सी.बी. मशीन से खुदाई कर कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास करने पर वादीगण को वादकारण उत्पन्न होकर प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु वादीगण को वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करना आवश्यक व लाजमी हुआ है तथा वाद का श्रवणधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावें एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वें वादीगण की खातेदारीता/सहखातेदारीता की भूमि में स्थित निजी खातेदारी के निजी रास्ते में लाल मिटटी डालकर पक्की सडक बनाते हुए वादीगण के उक्त निजी रास्ते को आम रास्ते में तब्दील करने का कृत्य ना करे।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :-

1. प्रदर्श पी 1 :- सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068-71 (वर्ष 2011-2014) जिसके अनुसार वादअधीन मूल भूमि खसरा नं. 1173, 1176 किस्म बारानी 1, **कृषि भूमि के रूप में** वादीगण सं. 1 लगायत 7 की सहखातेदारीता में दर्ज है। उक्त प्रदर्श में अंकित शेष भूमि खसरा नं. 1141, 1142, 1143, 1147 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

2. प्रदर्श पी 2 :- सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068-71 (वर्ष 2011-2014) जिसके अनुसार वादअधीन मूल भूमि खसरा नं. 1133, 1135, 1139, 1171, 1172, 1175 किस्म बारानी 1, **कृषि भूमि के रूप में** वादीगण सं. 8 लगायत 12 की सहखातेदारीता में दर्ज है। उक्त प्रदर्श में अंकित शेष भूमि खसरा नं. 1131/2502, 1146, 1169 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

3. प्रदर्श पी 3 :- सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068-71 (वर्ष 2011-2014) जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि खसरा नं. 1070, 1071, 1130, 1140, 1144, 1177, 1178 कुल रकबा किता 7 कुल रकबा 2.16 है. वादीगण सं. 1 लगायत 13 की सहखातेदारीता में हिस्सानुसार दर्ज है। उक्त भूमि वाद अधीन भूमि नही होकर मूल वाद के अनुतोष से मुक्त भूमि है। उक्त प्रदर्श में अंकित भूमि के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि॰अभि॰ PWD
मु॰सं॰ 11/2017

4. प्रदर्श पी 4 :— सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068—71 (वर्ष 2011—2014) जिसके अनुसार वादअधीन मूल भूमि खसरा नं. 1089, 1134, 1137, 1138 किस्म बारानी 1, कृषि भूमि के रूप में तथा खसरा नं. 1136 किस्म गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वादीगण सं. 1 लगायत 7 की सहखातेदारीता में दर्ज है। उक्त प्रदर्श में अंकित शेष भूमि खसरा नं. 1145, 1168, 1170, 1174 के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

5. प्रदर्श पी 5 :— सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068—71 (वर्ष 2011—2014) जिसके अनुसार उल्लेखित भूमि खसरा नं. 1148 कुल खसरा किता 1 कुल रकबा 0.39 है. किस्म बारानी 1 कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है। जो कि वादी सं. 14 की एकल खातेदारीता में दर्ज है। उक्त भूमि वाद अधीन भूमि नही होकर मूल वाद के अनुतोष से मुक्त भूमि है। उक्त प्रदर्श में अंकित भूमि के सन्दर्भ में कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

6. प्रदर्श पी 6 :— विवादित भूमि के फोटोग्राफ

वादपत्र में वर्णित तथ्यों का जवाब प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब वादपत्र में अंकित किया गया है कि वादपत्र के मद सं. 4 में उल्लेखित भूमि खसरा नं. 1136 रकबा 0.05 है. गैर मुमकिन रास्ता भूमि एक आम रास्ते की प्रचलित सडक के रूप में स्थित भूमि है। जो कि पूर्व से ही एक आम रास्ते के रूप में उपयोग की जा रही भूमि है। जिसपर कोई नवीन डामर सडक का निर्माण नही किया जा रहा है, अपितु पूर्व से ही प्रचलित उक्त क्षतिग्रस्त सडक के पुनः डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसके लिए कृषि उपज मण्डी के द्वारा विधिवत निर्माण स्वीकृती राशि भी जारी की गई है। जिसके अन्तर्गत मिन प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मात्र जिर्णोद्वार व पटरी मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है तथा उक्त आम रास्ता वर्षो पूर्व से ही डामर सडक के रूप में प्रचलित है। जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में होने के कारण नियमानुसार प्रकिया के अन्तर्गत जरिये स्वीकृत व्यय राशि के मरम्मत कार्य किया जा रहा है तथा आम रास्ते के रूप में प्रचलित उक्त पक्की सडक को वादीगण द्वारा अपनी भूमि में उल्लेखित करते हुए आम जन की सुविधा हेतु जनहित के सरकारी कार्य को प्रभावित करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो कि खारिज किया जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब वादपत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :—

1. तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 02.05.2014

(फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

फजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि. अभि. PWD
मु. सं. 11/2017

उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई :–

1. आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वें वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1133 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176 व 1089 जो कि वादीगण की निजी खातेदारी का रास्ता है, में सडक बनाने की चेष्टा ना करें तथा ना ही उक्त निजी रास्ते को आम रास्ते में परिवर्तित करने की चेष्टा करें।

– वादीगण

2. आया वादीगण द्वारा वर्णित उक्त खसरों में पूर्व से ही डामर की सडक कई वर्षो से बनी हुई है। जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उस सडक पर ही मिन प्रतिवादी द्वारा पुनः डामरीकरण व सुधार कार्य करवाया जा रहा है। कोई नवीन सडक निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। पूर्व से ही निर्मित उक्त आम रास्ते को वादीगण द्वारा निजी पगडंडी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। जिससे वादीगण विरूद्व प्रतिवादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

–प्रतिवादी

3. दादरसी ?

कायम तनकीयात के कम में वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी सं. 13 रामकुंवार पुत्र कानानाथ, हनुमान प्रसाद पुत्र शंकरनाथ, के प्रस्तुत कर मुख्य परीक्षण करवाया गया। जिनसे प्रतिवादी द्वारा जिरह नही किये जाने पर अवसर जिरह समाप्त किया गया। जिसके कम में प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहने बाबत कथन किये जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत की गई। जिसके कम में भी प्रतिवादी की ओर से दिनांक 05.04.2022 को जरिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही अन्तिम बहस की मान्यता दिये जाने का निवेदन किये जाने पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमने अधिवक्ता वादी की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का गौरपूर्वक अवलोकन किया। जिसके कम में प्रत्येक तनकीवार निस्तारण निम्न प्रकार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

1. **तनकी सं. 1 :–** इस बिन्दु को सिद्ध करने का भार वादीगण पर थी। जिसके अनुसार –"वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है कि वें वादीगण की तन्हा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1133 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176 व 1089 जो कि वादीगण की निजी खातेदारी का रास्ता है, में सडक बनाने

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कजोड़नाथ व अन्य बनाम अधि. अभि. PWD
मु. सं. 11/2017

की चेष्टा ना करें तथा ना ही उक्त निजी रास्ते को आम रास्ते में परिवर्तित करने की चेष्टा करें " उक्त सन्दर्भ में प्रस्तुत, उपलब्ध साक्ष्यों एवं वादपत्र के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के अनुतोष के मद में वर्णित खसरा नं. 1134 लगायत 1139, 1170 लगायत 1173, 1175, 1176, 1089 को अपनी निजी खातेदारी की भूमि वर्णित करते हुये। उक्त वर्णित भूमि में ही स्थित भूमि खसरा नं. 1136 किस्म गैर मुमकिन रास्ता को एवं उक्त वर्णित भूमियों में से भूमि खसरा नं. 1133, 1176, 1089 के मध्य से व खसरा नं. 1135 की उतरी सीमा पर पूर्व से ही प्रचलित एवं डोटेड लाइन के रूप में नक्शे में अंकित/स्थित मौसमी रास्ता की भूमि जिसका कि उपयोग मात्र रास्तें के रूप में किया जा सकता है, पर ब्लॉक निर्माण के कार्य को बाधित करने के उदेश्य से प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध मौका नक्शा व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 02.05.2014 से भी यह स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 1089, 1133, 1176 के मध्य से एवं खसरा नं. 1135 की उतरी सीमा मौसमी रास्ते के रूप में नक्शे में दर्ज अंकित है तथा खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। उक्त तथ्य का वादीगण द्वारा किसी भी रूप में (जवाब उल जवाब, साक्ष्य, बहस के रूप में) खण्डन नही किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त विवादित भूमि रास्ते की भूमि एवं मौसमी रास्ते के रूप में दर्ज अंकित/स्थित है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि **खसरा नं. 1135 की उतरी सीमा पर एवं खसरा नं. 1089, 1133, 1176 के मध्य डोटेड लाइन के रूप में दर्शित उक्त मौसमी रास्ता रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 1136 [illegible] हुये एक सार्वजनिक प्रयोजन के पूर्व से प्रचलित [illegible] पूर्ण करते है। इसके अतिरिक्त स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज यथा मौका फोटोग्राफ दिनांक 28.03.2014 से भी वर्णित भूमि का पूर्व से ही रास्ते की भूमि के रूप में स्थित होना प्रकट करते है। जिस पर कोई जे.सी.बी द्वारा खुदाई एवं नवीन निर्माण की गतिविधिया प्रदर्शित नही है।** उक्त कम में वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

काजोडनाथ व अन्य बनाम अधि.अभि. PWD
मु.सं. 11/2017

कथनों से यह स्पष्ट/प्रतित होता है कि वादीगण द्वारा उक्त पूर्व में प्रचलित गैर मुमकिन रास्ते (खसरा नं. 1136) व मौसमी रास्ते (डोटेड लाइन से प्रदर्शित) को निजी रास्ता व निजी पगडंडी रास्ता बताते हुये आमजन को इसके उपयोग से वंचित/बाधित करने के उदेश्य से वादपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा किसी सक्षम व मान्य साक्ष्य से यह सिद्ध नही किया गया है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा पूर्व में प्रचलित आम रास्ते का जीर्णोद्वार नही किया जाकर पूर्णतया नवीन रास्ते का निर्माण किया जा रहा है, जबकि न्यायालय हाजा के विवेकामतानुसार प्रतिवादी सं. 1 राज्य सरकार की एक कार्यकारी संस्था मात्र है जो लोक निर्माण के कार्यो का निर्देशानुसार सम्पादन करती है। किसी रास्ते का प्रयोग जनसाधारण द्वारा करने या जनसाधारण को आम रास्ते के उपयोग से रोकने से उक्त संस्था का कोई संबंध नही होकर मात्र लोक निर्माण कार्य से है। अतः वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष कि–''प्रतिवादी सं. 1 उक्त निजी रास्ते को आम रास्ते में परिवर्तित ना करे'' न्यायालय हाजा के विवेकामतानुसार गैर व्यावहारिक होने के कारण अमान्य है। कानूनन स्थाई निषेधाज्ञा व्यक्ति विशेष के विरूद्ध ही जारी की जा सकती है। जनसाधारण के विरूद्ध नही की जा सकती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, वादपत्र एवं बहस के अनुसार वादीगण को भलीभांति विदित है कि खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। जिसकी कमबद्धता में ही उपरोक्त उल्लेखित मौसमी रास्ता दर्ज अंकित/स्थित है। जिसका विधिक रूप से उपयोग मात्र रास्ते के रूप में किया जा सकता है। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि किस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तथाकथित [illegible] डामरीकरण की गतिविधि से अथवा जनसाधारण द्वारा उक्त खसरा नं. को रास्ते के तौर पर उपयोग करने से वादीगण के किस अधिकार का एवं किस प्रकार हनन होता है। इस प्रकार न्यायालय हाजा के विचारित अभिमतानुसार वादीगण खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ता हेतु स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है, साथ ही जहाँ तक प्रश्न तहसीलदार रिपोर्ट 02.05.2014 व नक्शे में मौसमी रास्ते के रूप में अंकित खसरा नं. 1089, 1133, 1176 के मध्य में स्थित एवं खसरा नं. 1135 की उत्तरी सीमा पर स्थित मौसमी रास्ते का है, तो उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त खसरा नं. वादीगण की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित है जिससे खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में पक्की सडक का निर्माण उनके अधिकारों का हनन माना जावेगा। अतः प्रतिवादी सं. 1 को उक्त खसरा नं. 1089, 1133, 1135, 1176 के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित समझते है कि वह विधि पूर्वक कार्यवाही के अभाव में एवं खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में उक्त खसरा नम्बरान में किसी नवीन सडक का निर्माण ना करे।

इसके अतिरिक्त चूंकि स्वयं वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आमेर को भूमि धारक मात्र होने के कारण एवं विधिक प्रावधानों की पालना के क्रम में आवश्यक पक्षकार होने से तरतीबी प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। जिनसे प्रत्यक्ष रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। जिससे भी यह स्पष्ट/सिद्ध होता है कि प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आमेर के कार्यपालक पक्षकार मात्र होने से वादीगण के हक अधिकारों का हनन नही होता है, ना ही वादी के कोई अधिकार प्रभावित होते है। अतः प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार आमेर को स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष से मुक्त रखा जाना उचित है। इस प्रकार यह तनकी / बिन्दु आंशिक मात्र रूप से वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

2. तनकी सं. 2 :— इस तनकी को सिद्ध करने की भारिता प्रतिवादी पर थी। जिसके अनुसार "वर्णित उक्त खसरों में पूर्व से ही डामर की सडक कई वर्षो से बनी हुई है। जो कि क्षतिग्रस्त अवस्था में है, उस सडक पर ही मिन प्रतिवादी द्वारा पुनः डामरीकरण व सुधार कार्य करवाया जा रहा है। कोई

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

नवीन सडक निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। पूर्व से ही निर्मित उक्त आम रास्ते को वादीगण द्वारा निजी पगडंडी बताया जा रहा है, जो कि गलत है। जिससे वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है"।

यह तनकी/बिन्दु तनकी सं. 1 की पूरक है। चूंकि तनकी सं. 1 का आंशिक मात्र रूप से वादीगण के पक्ष में निस्तारण किया गया है। अतः यह तनकी स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्तारित की जाती है।

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, वादपत्र एवं बहस के अनुसार वादीगण को भलीभांति विदित है कि खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है। जिसकी कमबद्धता में ही उपरोक्त उल्लेखित मौसमी रास्ता दर्ज अंकित/स्थित है। जिसका विधिक रूप से उपयोग मात्र रास्ते के रूप में किया जा सकता है। वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि किस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तथाकथित रूप से मिट्टी डालने या डामरीकरण की गतिविधि से अथवा जनसाधारण द्वारा उक्त खसरा नं. को रास्ते के तौर पर उपयोग करने से वादीगण के किस अधिकार का एवं किस प्रकार हनन होता है। अतः इस प्रकार न्यायालय हाजा के विचारित निर्णयानुसार वादीगण खसरा नं. 1136 गैर मुमकिन रास्ता हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। साथ ही जहाँ तक प्रश्न तहसीलदार रिपोर्ट 02.05.2014 व नक्शे में मौसमी रास्ते के रूप में अंकित खसरा नं. 1089, 1133, 1176 के मध्य में स्थित एवं खसरा नं. 1135 की उतरी सीमा पर स्थित मौसमी रास्ते का है, तो उक्त सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि चूंकि उक्त खसरा नं. वादीगण की खातेदारी में कृषि भूमि के रूप में अंकित है जिससे खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में पक्की सडक का निर्माण उनके अधिकारों का हनन माना जावेगा। अतः प्रतिवादी सं. 1 को उक्त खसरा नं. 1089, 1133, [illegible] के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह विधि पूर्वक क[illegible] ही [illegible] अभाव में एवं खातेदारान की पूर्व सहमति के अभाव में उक्त खसरा [illegible] नवीन सडक का निर्माण ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद वादीगण आंशिक रूप से डिकी किया जाता है, तदनुसार पर्चा डिकी जारी हों। निर्णय आज दिनांक को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर